न्यायालयः—शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ् जिला—बङ्वानी (म०प्र०)

आर.सी.टी. नं.74/2015 आपराधिक प्रकरण कमांक 95/2015 संस्थन दिनांक 27.02.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, ठीकरी, जिला–बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

वि रू द्ध

- राजु पिता मांगीलाल भीलाला आयु 35 वर्ष,
 निवासी पीपरखेडा थाना ठीकरी, जिला—बडवानी म0प्र0।
- मुन्नालाल पिता छगन भीलाला, आयु 28 वर्ष,
 निवासी पीपरखेडा थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0।
- शेक्त उर्फ शेरिसंह पिता बिघलिसंह भीलाला, आयु 21 वर्ष,
 निवासी पीपरखेडा थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0।
- रमेश पिता दौलत भीलाला, आयु 41 वर्ष,
 निवासी पीपरखेडा थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0।

----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा – श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.। अभियुक्त द्वारा – श्री जे.पी. गुप्ता अधिवक्ता ।

—: नि र्ण य :— (आज दिनांक 25.04.2018 को घोषित)

अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 294,323 / 34 (2 शीर्ष),336 व 506 भाग—2 भा.द.सं. का आरोप इस आधार पर है कि, उन्होंनें दिनांक 13.02.2015 को पीपरखेडा पुलिया के पास में समय लगभग 17:30 बजे फरियादी बहादुर को मां बहन की अश्लील गालियां सार्वजनिक स्थान पर दी, फरियादी / आहत्गण बहादूर एवं सरदार को स्वैच्छया उपहित करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सख्त अथवा बोथरी वस्तु लकडी व थप्प मुक्कों से मारपीट कर कि, विधि विरूद्ध

//2// आर.सी.टी. नं.74/2015 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 95/2015</u> संस्थन दिनांक 27.02.2015

जमाव के सदस्य रहते हुये ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से पत्थर फेंके, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया अथवा आहत् पारूबाई को क्षित कारित होना संभाव्य हो गया तथा फरियादी/आहत्गण बहादूर,सरदार व पारूबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास करने के आशय से आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि,फरियादी/आहत्गण द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने के आधार पर अभियुक्तगण को भादसं० की धारा 294,323/34(2—शीर्ष)506 भाग—2 के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है, व अभियुक्तगण को आहत् पारूबाई के संबंध में धारा 336 भा.द.सं. के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया है।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दि0 13.02.2015 को 3. समय लगभग 17:30 बजे वह अपने खेत पर जा रहा था कि, पीपरखेडा पुलिया के पास राज्,शेरू, मुन्नालाल व रमेश निवासी पीपरखेडा के नंगी नंगी गालियां देकर उसके काँका सरदार के साथ मारपीट कर रहे थे, तो वह बीच बचाव करने गया तो मुन्नालाल व राजु ने उनके साथ भी लकडी से मारपीट से उसे दाहिने ओर पसली में व दोनो हाथ के पंजों में चोटे आयी थी एवं राजु व रमेश ने सरदार को लकडी से मारपीट की उसे भी चोटे आयी थी, उसने बीच बचाव कर छुडाया। उसकी औरत पारूबाई व सरदार की औरत निर्मला ठीकरी बाजार से घर जा रही थी, झगडा देख वह भी छुडाने आयी तो चारो अभियुक्तगण ने उन पर पत्थर चलाये जिससे उसकी औरत को कमर व पीट में चोट लगी। बाद में बद्री व मयाराम आगये तो सरदार को सीधा ठीकरी अस्पताल ले गये। फिर वह काशीराम व मयाराम के साथ थाने पर रिपोर्ट करने आया पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कुं0 36 / 15 पंजीबद्ध किया तथा नक्शा मौका बनाया गया। जप्ती पंचनामा बनाया गय साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट अंजड द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294,323/34(2 शीर्ष),336 व 506 भाग—2 भा.द.सं. का भी आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है,किन्तु बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये है। अभियुक्तगण व फरियादी/आहत्गण के मध्य धारा 294,323/34(2 शीर्ष) व 506 भाग—2 भा.द.सं. के अंतर्गत राजीनामा हो गया है तथा उक्त धाराओं में अभियुक्तगण को राजीनामा के अलोक में दोषमुक्त किया

//3// आर.सी.टी. नं.74/2015 <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 95/2015</u> संस्थन दिनांक 27.02.2015

गया है, व धारा 336 भा.द.सं. के संबंध में अभियुक्तगण का विचारण जारी रखा गया है।

- 5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-
- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.02.2015 को समय लगभग 17:30 बजे स्थान पीपरखेडा पुलिया के पास पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुये ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से पत्थर फेंके, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया अथवा आहत् पारुबाई को क्षति कारित होना संभाव्य हो गया?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

- **6.** अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण पारूबाई (अ.सा.1),डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.2) व आर.एस. गणावा (अ.सा.3) के कथन कराये है।
- 7. अभियोजन की ओर से घटना के स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी पारूबाई (अ. सा.1) के कथन कराये गये हैं। उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। अभियुक्तगण ने बहादूर के साथ विवाद किया था, उसने बीच बचाव किया था। धक्का मुक्की में वह गिर गयी थी, जिससे उसे जमीन पर पडे हुये पत्थर कमर व पीट पर लग गये थे, और पुलिस ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण करवाया था। इस प्रक्रम पर अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये। जिसमें उक्त साक्षी ने अभियोजन के इन सुझावों से इंकार किया है कि, पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, अभियुक्तगण ने पत्थर फेंके थे जो उसे कमर व पीट में लगे थे। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि, अपने कथन प्र.पी. 01 में लिखायी गयी बात उसने बतायी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।
- 8. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 336 भा.द.सं. का जो आरोप विरचित किया गया है, उक्त आरोप को प्रमाणित करने के लिये यह घटक प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि, क्या अभियुक्तगण के द्वारा उतावलापन व उपेक्षा से कोई कार्य किया जिससे की मानव जीवन या दूसरों को वैयक्तिक क्षेम सकंटापन्न हुआ। अभियुक्तगण के द्वारा उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से पत्थर फेककर मानव जीवन संकटापन्न होना या पारूबाई को क्षति कारित होना संभाव्य होना के संबंध में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आहत् पारूबाई ने घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा डॉ. आर.एस. मुजाल्दा(अ.सा. 2)व अनुसंधान कर्ता

आर.सी.टी. नं.74/2015 आपराधिक प्रकरण कमांक 95/2015 संस्थन दिनांक 27.02.2015

आर.एस. गणावा(अ.सा.3) के कथन करवाये है।डॉ. आर.एस. मुजाल्दा(अ.सा. 2) की साक्ष्य प्रकरण में अभियुक्तगण व फरियादी / आहत्गण के मध्य धारा 323 / 34 भा.द.सं. के अंतर्गत राजीनामा हो जाने से महत्वहीन है। अनुसंधानकर्ता आर.एस. गणावा(अ.सा. 3) ने प्रकरण में अनुसंधान किया है। चक्षुदर्शी साक्षी आहत् पारूबाई(अ.सा.1) ने घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। जिस कारण अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य भी औपचारिक स्वरूप की रह जाती है।

- 9. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया हैं। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के फरियादी / आहत्गण ने आरोपीगण से राजीनामा किया हैं तथा आहत् स्वंय पारूबाई ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 336 भा.द.सं. के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है तो अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 336 का अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता हैं।
- 10. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण राजु पिता मांगीलाल भीलाला मुन्नालाल पिता छगन भीलाला, शेरू उर्फ शेरिसंह पिता बिघलिसंह भीलाला तथा रमेश पिता दौलत भीलाला को भा0द0सं0 की धारा 336 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता हैं।
- 11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा एक बबुल की लकडी लंबाई लगभग चार फीट अपील अविध पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।
- **13.** आरोपीगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में भादस0ं की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / –
(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड, जिला बडवानी

सही / –
(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़, जिला बडवानी